

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2019—आश्विन 8 शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. 16324-262-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 सितम्बर, 2019 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, २०१९

विषय-सूची:

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ७९ का लोप.
३. धारा ८० का लोप.
४. धारा ८१ का लोप.
५. धारा ८२ का लोप.
६. धारा ८३ का लोप.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ९ सितम्बर, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३० सितम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, १९४९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है।

धारा ७९ का लोप.

२. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १९४९ (क्रमांक ३६ सन् १९४९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७९ का लोप किया जाए।

धारा ८० का लोप.

३. मूल अधिनियम की धारा ८० का लोप किया जाए।

धारा ८१ का लोप.

४. मूल अधिनियम की धारा ८१ का लोप किया जाए।

धारा ८२ का लोप.

५. मूल अधिनियम की धारा ८२ का लोप किया जाए।

धारा ८३ का लोप.

६. मूल अधिनियम की धारा ८३ का लोप किया जाए।

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. 16324-262-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT NO. 23 OF 2019

THE MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH (AMENDMENT) ACT, 2019

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Deletion of section 79.
3. Deletion of section 80.
4. Deletion of section 81.
5. Deletion of section 82.
6. Deletion of section 83.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 23 OF 2019**

THE MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH (AMENDMENT) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 9th September, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th September, 2019.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Public Health Act, 1949.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Public Health (Amendment) Act, 2019. | Short title. |
| 2. Section 79 of the Madhya Pradesh Public Health Act, 1949 (No. 36 of 1949) (hereinafter referred to as the principal Act) shall be deleted. | Deletion section 79. of |
| 3. Sections 80 of the principal Act shall be deleted. | Deletion section 80. of |
| 4. Sections 81 of the principal Act shall be deleted. | Deletion section 81. of |
| 5. Sections 82 of the principal Act shall be deleted. | Deletion section 82. of |
| 6. Sections 83 of the principal Act shall be deleted. | Deletion section 83. of |